—: राजस्थान सरकार :—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु०नं0—73 / 2017 (जीसीएमएस नं0 2017 / 00084)

उनवान —सरकार बनाम

1. अंकित गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, उम्र 21 वर्ष, जाति वैश्य निवासी राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर।
2. मै0 ओम सॉई एजेंसीज, राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर
3. श्री अशोक माथुर पुत्र श्री गनपथ लाल माथुर, सी—92 मालवैया नगर जयपुर। नोमिनीः— गुजरात को—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बी—04, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट)सीविल लाइन जयपुर।
4. गुजरात को—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बी—04, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट) सीविल लाइन जयपुर।
5. श्री डी टी पटेल, नोमिनीः— बनासकांठा डिस्ट्रीब्यूटर्स को—ऑपरेटिवव, मिल्क प्रोडक्सरर यूनियन लि0 बनास, डेयरी, पोस्ट बोक्स नं0 20, पालनपुर 385001
6. बनासकांठा डिस्ट्रीब्यूटर्स को—ऑपरेटिव, मिल्क प्रोडक्सार यूनेयन लि0 बनास डेयरी, पोस्ट बोक्स नं0 20 पालनपुर 385001

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक —29.05.2024

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त 1. अंकित गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, उम्र 21 वर्ष, जाति वैश्य निवासी राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर 2. मै0 ओम सॉई एजेंसीज, राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर 3.श्री अशोक माथुर पुत्र श्री गनपथ लाल माथुर, सी—92 मालविया नगर जयपुर। नोमिनीः— गुजरात को—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बी—04, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट)सीविल लाइन जयपुर 4.गुजरात को—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बी—04, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट) सीविल लाइन जयपुर 5.श्री डी टी पटेल, नोमिनीः— बनासकांठा डिस्ट्रीब्यूटर्स को—ऑपरेटिवव, मिल्क प्रोडक्सरर यूनियन लि0 बनास, डेयरी, पोस्ट बोक्स नं0 20, पालनपुर 385001 6. बनासकांठा डिस्ट्रीब्यूटर्स को—ऑपरेटिव, मिल्क प्रोडक्सर यूनियन लि0 बनास डेयरी, पोस्ट बोक्स नं0 20 पालनपुर 385001 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 51 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.01.2016 को अभियुक्त / अप्रार्थी के दुकान मैसर्सः— मै0 ओम सॉई एजेंसीज, राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग आइस्क्रीम (अमूल डियूज मैंगो) 50—50 ग्राम के 300 केन्डी , 20—20 पीस के 15 डिब्बों में आम जनता के विकय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त आइस्क्रीम (अमूल डियूज मैंगो) 50—50 ग्राम के 24 पीस को वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त आइस्क्रीम (अमूल डियूज मैंगो) नमूना डी—1026 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की जॉच रिपोर्ट एलएस / 409 / एक्ट / 2016 / 416 दिनांक 24.05.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया आइस्क्रीम (अमूल डियूज मैंगो) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुशमाकर गर्ग, अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थीगण अभिभाषक को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया । जबाब पेश किया। बहस की गई । अप्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस के दौरान अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

Scanned with OKEN Scanner

–: राजस्थान सरकार:–

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं0 73 / 2017 सरकार बनाम अंकित गोयल

(2)

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण अभिभाषक को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त आइस्क्रीम (अमूल डियूज मैंगो) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण आइस्क्रीम (अमूल डियूज मैंगो) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः श्री अंकित गोयल पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गोयल, उम्र 21 वर्ष, जाति वैश्य निवासी राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर , मै0 ओम सॉई एजेंसीज, राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास धौलपुर , श्री अशोक माथुर पुत्र श्री गनपथ लाल माथुर, सी–92 मालविया नगर जयपुर। नोमिनी:– गुजरात को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बी–04, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट)सीविल लाइन जयपुर, गुजरात को–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि0 बी–04, केशव पथ, सूरज नगर (वेस्ट) सीविल लाइन जयपुर, श्री [illegible] पटेल, नोमिनी:– बनासकांठा डिस्ट्रीब्यूटर्स को–ऑपरेटिवव, मिल्क प्रोडक्सरर यूनियन लि0 बनास, डेयरी, पोस्ट बोक्स नं0 20, पालनपुर 385001 एवं बनासकांठा डिस्ट्रीब्यूटर्स को–ऑपरेटिव, मिल्क प्रोडक्सर यूनियन लि0 बनास डेयरी, पोस्ट बोक्स नं0 20 पालनपुर 385001 पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 31,000/–रुपये (इकतीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)